

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-05/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

स्व०(डा०) राजीव रंजन, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, अमौर, पूर्णियाँ के दिनांक 12.06.1992 से 21.06.1992 तक की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/आर-05/2025-

554(2) पटना, दिनांक 01/04/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एव हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, अमौर, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/श्रीमती पूनम रंजन, पत्नी-स्व०(डा०) राजीव रंजन, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, अमौर, पूर्णियाँ का पत्राचार पता-नियर आई.ई.ओ. ऑफिस, भट्टा बाजार, थाना-सहायक खजौंची, जिला-पूर्णियाँ, पिनकोड-854301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।